न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:—2024/62 दर्ज तिथिः—18.01.2024

1. हुकमाराम पुत्र दमाराम
   जाति सुथार, निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानीजिला बाड़मेर।

.... प्रार्थी

बनाम

1. नारणाराम पुत्र गंगाराम
   जाति कलबी निवासी सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी।
2. मोहनलाल पुत्र गोरखाराम
3. खेराजराम पुत्र गोरखाराम
4. किशनाराम पुत्र गोरखाराम
   जाति सुथार निवासी तेजियावास, ग्राम पंचायत बेरीगांव, तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर।
5. कृष्णराम पुत्र राजुराम
   जाति सुथार, निवासी धोलीनाडी तहसील गुड़ामालानी बाड़मेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी।

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री चिमनसिंह चौधरी।
अप्रार्थीगणः—श्री जोगराज पोटलिया

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—30.09.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.12 17:42:57 IST
Reason: SelfAttested

191/189/0.2403 है. वाके ग्राम तेजियावास में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेशांक दिनांक 18.12.2023 की पालना में दिनांक 25.12.2023 को पटवारी हल्का बेरीगांव द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 191/189/0.2403 है. वाके ग्राम तेजियावास तहसील गुड़ामालानी की पत्थरगढ़ी दिनांक 25.12.2023 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगणका प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण संख्या 02 ता 05 के अधिवक्ता हाजिर न्यायालय हुए। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी को पत्र क्रमांक कोर्ट/2024/230 दिनांक 11.03.2024 द्वारा बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवारी हल्का बेरीगांव ने दिनांक 26.03.2024 तथा 26.07.2024 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी तथा अप्रार्थी की खातेदारी आराजी का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 91/2022 उनवान हुक्माराम बनाम कृष्णराम में सहमति से राजीनामा के परिशिष्ठ—अ के आधार पर विभाजन किया गया। प्रकरण में उक्त आराजी के मौके पर दक्षिण दिशा में बाड़मेर हाईवे पेट्रोल पम्प तथा उत्तर दिशा में खसरा संख्या 140/80, 80/2, 80/7 अवस्थित हैं। प्रकरण में उक्त आराजी के मौके पर दक्षिण दिशा में बाड़मेर हाईवे पेट्रोल पम्प तथा उत्तर दिशा में खसरा संख्या 140/80, 80/2, 80/7 के मध्य करीब 410 फिट भूमि मेगा हाईवे पर अवस्थित हैं। उक्त आराजी के मौके पर दक्षिण दिशा में बाड़मेर हाईवे पेट्रोल पम्प तथा उत्तर दिशा में खसरा संख्या 140/80, 80/2, 80/7 के मध्य मेगा हाईवे पर अवस्थित करीब 410 फिट भूमि में से उक्त संयुक्त आराजी में प्रार्थी के 2/3 हिस्से के अनुपात में 270 फिट तथा प्रार्थी के उक्त संयुक्त आराजी में 1/3 हिस्से के अनुपात में

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.12 17:42:57 IST
Reason: SelfAttested

140 फिट भूमि सहमति से विभाजन में दी गई। उक्त आराजी में से प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के खाते में आई भूमि में से खसरा संख्या 80 ⁄ 2 की सीमा से 200 फिट लम्बाई में मेगा हाईवे पर अवस्थित भूमि का बैचान कर दिये जाने के पश्चात प्रार्थी को खसरा संख्या 191 ⁄ 189 में मेगा हाईवे पर 70 फिट भूमि लम्बाई में शेष रहती है। उक्त प्रार्थी की शेष भूमि आराजी की नेखमबंदी किये जाने का निवेदन किया।

4. दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों का जवाब एवं प्रति—अनुतोष प्रस्तुत बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 190 ⁄ 139 ⁄ 0.6151 है0 मौजा तेजियावास एवं प्रार्थी की आराजी सेढे—सेढ आई हुई है। उक्त अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 190 ⁄ 139 ⁄ 0.6151 है0 मौजा तेजियावास एवं प्रार्थी की आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थी की खातेदारी आराजी के साथ में अप्रार्थी की खातेदारी आराजी की भी नेखमबंदी किये जाने का निवेदन किया।

5. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries**.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

6. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.12 17:42:57 IST
Reason: SelfAttested

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

7. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–2076 ग्राम तेजियावास में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम तेजियावास के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक दिनांक 25.12.2023से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आराजी खसरा को मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमा चिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इसी प्रकार अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 190 / 139 / 0.6151 है0 मौजा तेजियावास की आराजी की भी सीमाओं का निर्धारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी के प्रति–अनुतोष को स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 91 / 2022 उनवान हुक्माराम बनाम कृष्णराम के निर्णय में सहमति से राजीनामा के परिशिष्ठ–अ तथा प्रकरण संख्या 194 / 2023 उनवान नारणाराम बनाम कृष्णराम में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 12.08.2024 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी की खातेदारी आराजी की सीमाओं का निर्धारण करते हुए उसी अनुसार नेखमबंदी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा–128 भू–राजस्व अधिनियम–1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी की हाल आराजी खसरा संख्या 191/189/0.2403 है. तथा अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 190/139/0.6151 है0 मौजा तेजियावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी की अपनी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.12 17:42:57 IST
Reason: SelfAttested

कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी के प्रति–अनुतोष को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्व सूचित करते हुए राजस्व वाद संख्या 91/2022 उनवान हुक्माराम बनाम कृष्णराम के निर्णय में सहमति से राजीनामा के परिशिष्ठ–अ तथा प्रकरण संख्या 194/2023 उनवान नारणाराम बनाम कृष्णराम में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 12.08.2024 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 की आराजी खसरा संख्या 192/189 की खसरा संख्या 80/2 की दक्षिण बिन्दु से मेगा हाईवे पर 200 फिट तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 191/189 में मेगा हाईवे पर 70 फिट तथा अप्रार्थी संख्या 02–05 की खातेदारी आराजी की सीमाओं का निर्धारण करते हुए हाल राजस्व नक्शा अनुसार नेखमबंदी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की जावे। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रतिपालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 30.09..2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.12 17:42:57 IST
Reason: SelfAttested